न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
....	....	....	....
660/2017	दावा 88, 188, 92ए RTA	17.07.2017	03.02.2023

1. श्रीमती शमीम बानो पत्नी श्री शमशाद अली जाति चेजारा निवासीनी वार्ड संख्या–41 चूरू तहसील व जिला चूरू।
2. श्रीमती साबीरा बेवा श्री अल्लादीन निवासीनी वार्ड संख्या–44 चूरू हाल मुम्बई।
3. श्री अल्ताफ पुत्र श्री अल्लादीन निवासी वार्ड संख्या –44 चूरू हाल मुम्बई।
4. श्रीमती जुलेखां पुत्री श्री अल्लादीन निवासीनी चूरू हाल अहमदाबाद।
5. श्रीमती आसिया पुत्री श्री अल्लादीन निवासीनी चूरू हाल अहमदाबाद।
6. श्रीमती कुलसुम पुत्री श्री अल्लादीन निवासीनी चूरू हाल अहमदाबाद।
   जरिये मुख्यत्यारआम श्रीमती शमीम बानो पत्नी श्री शमशाद अली जाति चेजारा निवासीनी वार्ड संख्या–41 चूरू तहसील व जिला चूरू।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय
2. हसन बानो पत्नी श्री हनीफ खां जाति कायमखानी निवासीनी वार्ड संख्या 44 जौहरी सागर के पास, चूरू(राज.)
3. जमील खां पुत्र श्री सदीक खां जाति कायम खानी निवासी वार्ड संख्या 44 जौहरी सागर के पास, चूरू(राजस्थान) हाल निवासी भीमसर(झुन्झुनु)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा, हनुमान प्रसाद स्वामी वादीगण
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2,3 श्री नन्दराम राहड़
3 अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1 श्री पैरोकार राज

निर्णय

वादीगण की ओर से एक वाद घोषणात्मक वास्ते सही व शुद्ध करवने (कृषि भूमि) नक्शा हेतु संस्थित किया जिस वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

यह कि कस्बै चूरू की रोही में वर्ष 1999 के राजस्व अभिेख के मुताबिक एक कृषि भूमि खसरा संख्या 430 तादादी 24 बीषा 3 बिश्वा वादीगण के पिता व पति अल्लादीन चेजारा पुत्र हाजी नेक मोहम्मद चेजा[illegible] हिस्सा [illegible] हसन बानो पत्नी श्री हनीफ खां जाति कायमखानी 886/3 हिस्सा एवं [illegible] पुत्र श्री सदीक खां 262/3 हिस्सा के नाम की खातेदारी की अवस्थि[illegible] हिस्सेदारों ने आपसी सहमति से पारिवारिक व्यवस्था करते हुए [illegible] राजीनामा [illegible] मौके व कब्जे की स्थिति के अनुरूप आपसी [illegible] के मुताबिक कृषि भूमि [illegible] नम्बर 430

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

की उत्तरी तरफ की 12.17 बीघा कृषि भूमि हसन बानो के हिस्से में खसरा संख्या 1947/430 आवंटित कर रखी गई। तत्पश्चात् हसन बानो की जगह जमील खां पुत्र सदीक खां जाति कायमखानी की 02 बीघा कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1946/430 के द्वारा विभक्त की गई। जमील खां व हसन बानो के दक्षिण तरफ की कृषि भूमि वादीगण के पति व पिता अलादीन चेजारा के हिस्से में 8 बीघा 1 बिश्वा कृषि भूमि खसरा संख्या 1945/430 के द्वारा विभक्त की गई। खसरा संख्या 1945/430, 1946/430 व 1947/430 कृषि भूमि का काश्तकारों के कब्जे, काश्त, उपयोग व उपभोग के अनुरूप विभाजन किया गया। इन कृषि भूमियों में से खेत खसरा संख्या 1945/430, 1946/430 व 1947/430 के पश्चिम तरफ सड़क आम अवस्थित है जो सड़क चूरू से तारानगर मार्ग है। इन कृषि भूमियों में से कुछ कृषि भूमि सड़क में अवाप्त हो चली थी जिसके पश्चात् खसरा संख्या 1945/430 तादादी 7 बीघा 6 बीश्वा तथा खसरा संख्या 1946/430 तादादी 1.5 बीघा एवं खसरा संख्या 1947/430 तादादी 13 बीघा 7 बिश्वा के रहे। इन कृषि भूमियों का विभाजन प्रस्ताव व रेवेन्यु रिकॉर्ड एवं नक्शा मौके की स्थिति से भिन्न मार्क होकर जारी हो गया जा राजस्व रिकॉर्ड सही व शुद्ध करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया दिनांक 26.11.2016 को जरिये अधिवक्ता रजिस्टर्ड डाक से तहसीलदार चूरू को सूचना पत्र प्रेषित करवाकर दो माह में कृषि भूमि के रेवेन्यू रिकॉर्ड में संशोधन किये जाने हेतु सूचित किया गया परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन नहीं हुआ जिस अनुतोष हेतु हस्तगत वाद वादीगण द्वारा संस्थित किया गया।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 पर तलबी जरिये साधारण व रजि. डाक करवाई गई जिसके बावजूद तलबी नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की तलबी जरिये अखबारी सम्मन करवाई गई। जिस पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता नन्दराम राहड़ उपस्थित आये तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर तनकी कायम की जाकर पत्रावली को साक्ष्यवादीमें नियत किया गया। इस दौरान वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 व सपठित धारा 151 सीपीसी की पेश की गई जिस पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई। दौरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 ने राजीनामा तथा राजीनामा के साथ नक्शा एनेक्सर–अ प्रस्तुत कर वादगत कृषि भूमि की बाबत सही व शुद्ध नक्शा का राजस्व अभिलेख तैयार किये जाने हेतु निवेदन किया। पक्षकारों को इस राजीनामा को पत्रावली पर लिया जाकर कृषि भूमियों की वास्तविक मौके की स्थिति की बाबत हल्का पटवारी चूरू से रिपोर्ट मंगवाई गइ। भूअभिलेख निरीक्षक चूरू एवं पटवारी कस्बा चूरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जरिये तहसीलदार दिनांक 19.10.2022 को प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया।

हल्का पटवारी चूरू के द्वारा वादगत कृषि भूमि– जो चूरू तारानगर मार्ग पर अवस्थित है– कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1945/430 जिसका रकबा 1.8464 हैक्टेय है तथा इस कृषि भूमि के उतरी तरफ खेत खसरा संख्या 1946/430 जिसका रकबा 1.5 बीघा अर्थात् 0.3161 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 194[illegible] [illegible]430 की कृषि भूमि जिसका रकबा 13 बीघा 7 बीश्वा अर्थात् 3.3766 हैक्टेयर भू[illegible] है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के साथ प्रस्तुत किया ग[illegible] भी त[illegible] ही दर्शित है इसलिए वादीगण का वाद पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत कि[illegible] डिक्री किया जाना विधिसम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है।पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के साथ संलग्न अनेक्स–अ व हल्का पटवारी चूरू द्वारा चूरू द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.10.2022 के साथ प्रस्तुत किया गया मानचित्र के अनुरूप डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुरूप तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा के साथ संलग्न अनेक्सर–अ व हल्का पटवारी चूरू द्वारा अपनी रिपार्ट दिनांक 10.10.2022 के साथ प्रस्तुत किया गया मानचित्र के अनुरूप कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में संशोधन कर तद्नुरूप संशोधित व शुद्ध मानचित्र तैयार कर राजस्व अभिलेख संधारित किया जावे तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : उगमसिंह राजपुरोहत आर0ए0एस0

1. श्रीमती शमीम बानो पत्नी श्री शमशाद अली जाति चेजारा निवासीनी वार्ड संख्या–41 चूरू तहसील व जिला चूरू।
2. श्रीमती साबीरा बेवा श्री अल्लादीन निवासीनी वार्ड संख्या–44 चूरू हाल मुम्बई।
3. श्री अल्ताफ पुत्र श्री अल्लादीन निवासी वार्ड संख्या –44 चूरू हाल मुम्बई।
4. श्रीमती जुलेखां पुत्री श्री अल्लादीन निवासीनी चूरू हाल अहमदाबाद।
5. श्रीमती आसिया पुत्री श्री अल्लादीन निवासीनी चूरू हाल अहमदाबाद।
6. श्रीमती कुलसुम पुत्री श्री अल्लादीन निवासीनी चूरू हाल अहमदाबाद।

जरिये मुख्यत्यारआम श्रीमती शमीम बानो पत्नी श्री शमशाद अली जाति चेजारा निवासीनी वार्ड संख्या–41 चूरू तहसील व जिला चूरू।

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय
2. हसन बानो पत्नी श्री हनीफ खां जाति कायमखानी निवासीनी वार्ड संख्या 44 जौहरी सागर के पास, चूरू(राज.)
3. जमील खां पुत्र श्री सदीक खां जाति कायम खानी निवासी वार्ड संख्या 44 जौहरी सागर के पास, चूरू(राजस्थान) हाल निवासी भीमसर(झुन्झुनु)

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए आर.टी.ए.</u>

मुकदमा नं. 660 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवन कुमार शर्मा व श्री हनुमान प्रसाद स्वामी अधिवक्ता मिनजानिब मुदईब व श्री नन्दराम राहड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा राजीनामा के साथ प्रस्तुत मानचित्र अनेक्सर–अ तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या –1 तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि राजीनाम के साथ संलग्न अनेक्सर–अ व हल्का पटवारी चूरू की रिपोर्ट के साथ मानचित्र के अनुसार कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1945 / 43, 1946 / 430 व 1947 / 430 के राजस्व अभिलेख मानिचत्र को शुद्ध किया जाकर राजस्व अभिलेख संधारित किया जावे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03 माह फरवरी सन् 2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:10 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू